बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–

पटना दिनांक–

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

विषयः– कोरोना वायरस से बचाव हेतु पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सेनिटाइजेशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत हैं कि कोरोना वायरस से बचाव का महत्वपूर्ण उपाय साफ–सफाई एवं सावधानी बरतना है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाथ धोने, मास्क पहनने, सेनिटाइजर का उपयोग करने संबंधी एडवाइजरी लगातार टी0वी0 चैनलों एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित की जा रही है।

उक्त क्रम में इस वायरस के सम्भावित संक्रमण के फैलने से रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर बिहार में स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमा हॉल, आदि भीड़ भाड़ वाले स्थान बंद करा दिये गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो आम जन की रोजमर्रा से जुड़ा है, को आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेनिटाइज किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आपको निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैः–

1. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी संस्था, यथा–बस ऑनर एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा संघ, ई रिक्शा चालक संघ ,टैक्सी संचालक ट्रेवल एजेन्सियां, ओला/उबर संचालक, बाइक टैक्सी संचालक, निजी स्कूल संचालक, रेलवे के प्रतिनिधियों एवं नगर निकाय के पदाधिकारियों के साथ अविलम्ब बैठक कर उन्हें निम्नलिखित निदेश दिए जाएँः–

(i) बसों, टैक्सी, ऑटो में लगे पर्दो एवं कपड़ा के सीट कवर को अविलम्ब अगले आदेश तक हटा दिया जाए।

(ii) बसों, टैक्सी, ऑटो, ई–रिक्शा के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्राम अवधि में इन वाहनों को सिनेटाइज कर रखा जाए। विशेषकर लोगों द्वारा पकड़ने के स्थान, यथा गेट का हैण्डल, रेलिंग, सीट का ऊपरी भाग आदि को अच्छी तरह साफ कपड़े से पोछा जाना चाहिए। इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का घोल अथवा अन्य प्रकार के disinfecting solution का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) सभी वाहनों के मालिक सुनिश्चित करेंगे कि ड्राइवर एवं कंडक्टर साफ–सुथड़ा कपड़े पहने एवं उनके पास सैनिटाइजर उपलब्ध रहे।

(iv) वाहन मालिक वाहन में सेनिटाइजर उपलब्ध रखेंगे एवं ड्राइवर/कंडक्टर के माध्यम से यात्री को वाहन में सवार होने से पूर्व उनका हाथ साफ करवाएँगे। प्रत्येक यात्री के हाथ पर स्प्रेयर से छिड़काव कर उनका हाथ साफ करवाना/धुलवाना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

(v) वाहन मालिकों (बस/टैक्सी/कैब/ऑटो के संचालकों) से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनके द्वारा वाहन को प्रतिदिन सेनिटाइज किया जाता है एवं वाहन में सेनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। उन्हें वीडियोग्राफी कराने का निदेश दें।

(vi) वाहन मालिक वाहनों में/बस स्टैण्ड पर लगे **micing system** के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव के उपायों संबंधी संदेश प्रसारित कराएँगे। वे जिला परिवहन कार्यालय से संदेश पेन ड्राइव में प्राप्त करेंगे।

2. सभी बस स्टैण्डों/ऑटो रिक्शा स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर नगर निकाय के सहयोग से समुचित साफ–सफाई, तथा डी0डी0टी0/ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव सुनिश्चित कराया जाए। फर्स की सफाई भी सुनिश्चित कराई जाय।

3. बस स्टैण्डों पर शौचालयों की विशेष सफाई सुनिश्चित करायी जाए।

4. जिलान्तर्गत ऑटो रिक्शा पड़ाव पर भी यात्रियों के हाथ धोने की समुचित व्यवस्था सुनिश्यित करायी जाए तथा उनकी भी सफाई कराई जाय।

5. बसों के अंदर कोरोना वायरस से बचाव संबंधी निर्देशों का पोस्टर लगाया जाए।

6. बड़े बस स्टैण्डों पर मेडिकल कैम्प स्थापित किया जाए एवं आने वाले पैसेन्जर की आवश्यकतानुसार जाँच करायी जाए।

7. बस स्टैण्डों, ऑटो स्टैण्डों, आदि स्थलों पर माइकिंग कराकर यात्रियों को जागरूक किया जाए।

8. स्कूल बसों में भी कंडिका–1 में वर्णित उपाय स्कूल प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जाए।

9. जिलान्तर्गत सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन प्रबंधक से समन्वय कर प्लेटफार्म की सफाई एवं ट्रेनों के आगमन पर यात्री डब्बों के हैण्डल, रेलिंग इत्यादि की सफाई सुनिश्चित करायी जाए।

10. प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी मेडिकल कैम्प स्थापित किए जाए एवं अगन्तुकों के स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था करायी जाए।

11. जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक एवं अन्य जिला/अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से वाहन मालिकों द्वारा निदेशों के अनुपालन की स्थिति का भौतिक निरीक्षण कराया जाए।

12. जिला स्तर पर उपरोक्त कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अपने स्तर से अपने प्रमंडल क्षेत्र में अनुपालन की स्थिति की लगातार समीक्षा करें।

अतः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत उपरोक्त निदेशों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

17/3/2020

17/3

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1915A दिनांक– 17/3/2020
प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

17/3

17/3/2020

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner